



राजस्थान आवासन मण्डल

द्वारा

इन्दिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा जयपुर में

उपलब्ध 1 आवास तथा बनास विहार आवासीय योजना, टॉक में उपलब्ध 2
आवासीय भूखण्डों एवं 6 निर्मित दुकान एवं कियोरक हेतु मुहरबन्द बिड
प्रस्ताव द्वारा

मुहरबन्द सूचना

भविष्य के बाजार में बने, आप भी भागीदार

मुहरबन्द बिड प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि एवं समय	मुहरबन्द बिड प्रस्ताव खोलने की दिनांक एवं समय	मुहरबन्द बिड प्रस्तुति का स्थान	मुहरबन्द बिड प्रस्ताव खोले जाने का स्थान
20.06.2019 से 26.06.2019 को सायं 5.00 बजे तक	27 जून 2019 (गुरुवार) प्रातः 11.00 बजे	सम्बन्धित खण्ड कार्यालय	कार्यालय परिसर आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, सैकटर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर

S.N.	Sector	House No.	Corner/ Ordinary	Area in Sqm.	Min. Bid Price (Per House)	Amt. of DD to be attached (Rs.)	Reserved Category (Gen/ SC/ ST)
1 Constructed House Sector-04, Indira Gandhi Nagar, Jaipur							
1	4	4/H/444	Corner	238.665	1,05,50,000.00	527500.00	
S.N.	Sector	Constructed Shop	Corner/ Ordinary	Area in Sqm.	Min. Bid Price (Per Shop)	Amt. of DD to be attached (Rs.)	Reserved Category (Gen/ SC/ ST)

6 Constructed Sector-03, Banas Vihar, Tonk

1	3	3/09	Corner	10.30	733415.00	36671.00	
2	3	3/04	Ordinary	10.30	723415.00	36171.00	S.C.
3	3	3/05	Ordinary	9.90	702120.00	35106.00	
4	3	3/06	Ordinary	9.90	702120.00	35106.00	
5	3	3/07	Ordinary	9.90	702120.00	35106.00	S.T.
6	3	3/08	Ordinary	9.90	702120.00	35106.00	

S.N.	Sector	Plot No	Corner/ Ordinary	Area in Sqm.	Min. Bid Price (Per Sqm.)	Amt. of DD to be attached (Rs.)	Reserved Category (Gen/ SC/ ST)
2 Residential Plot Sector-03, Banas Vihar, Tonk							
1	3	3/72-B EWS	Ordinary	42.187	19100.00	40289.00	
2	3	3/276 EWS	Ordinary	42.187	19100.00	40289.00	

- नोट: 1. बिडदाताओं द्वारा नीलामी में बिड प्रस्तुत करने हेतु लिफाके पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप, बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बिड की शर्तों के विस्तृत विवरण आगामी पृष्ठों पर अंकित है जो आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये संबंधित कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
2. सामान्य (General) वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति के लिए समस्त बिडदाता पात्र होंगे। किन्तु वर्ग विशेष हेतु आरक्षित सम्पत्ति के लिए संबंधित वर्ग के बिडदाता ही पात्र होंगे एवं इस हेतु उन्हें वर्ग विशेष संबंधित वैधानिक प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति सलग्न करनी होगी।
3. इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना जयपुर में भूमि विकास दर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रु. 47,200 प्रति वर्ग मीटर एवं

आवासीय प्रयोजनार्थ रु. 10,985 प्रति वर्ग मीटर (मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु) है तथा बनास विहार आवासीय योजना, टॉक हेतु भूमि विकास दर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रु. 45,526 प्रति वर्ग मीटर एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रु. 10,595 प्रति वर्ग मीटर (मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु) है। आवास के आय वर्ग अनुसार भूमि विकास दर 10 / 20 प्रतिशत अधिक या कम वसूलनीय होगी।

- आवासीय भूखण्ड की नीलामी/आवंटन हेतु संबंधित श्रेणी के भूखण्ड की आरक्षित दर, लागत हेतु निर्धारित आरक्षित दर की दो गुणा एवं उपरिव्यय वर्गानुसार सम्मिलित किये जायेंगे।
- वार्षिक लीज राशि की गणना वाणिज्यिक (5.0 प्रतिशत) व आवासीय (2.5 प्रतिशत) उपयोग हेतु भूमि विकास दर से भूखण्ड के क्षेत्रफल पर की जावेगी।
- सक्षम स्तर से अनुमोदित अधिकतम बिड की राशि के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विविध शुल्क (व्यावसायिक हेतु 5.0 प्रतिशत एवं आवासीय हेतु 3.0 प्रतिशत), रु 500 नकशा शुल्क, रु 1000 विधिक शुल्क, लीज मनी देय होंगे। वस्तु एवं सेवा कर की दर अन्य विविध शुल्क पर 12.0 प्रतिशत एवं नकशा शुल्क, विधिक शुल्क, लीज मनी पर 18.0 प्रतिशत (यथा प्रभावी) है, जो कि आवंटन पत्र के अनुसार अतिरिक्त देय होंगे।

सम्पर्क सूत्रः

कार्यालय परिसर आवासीय
अभियन्ता, खण्ड-तेरह, सैकटर-04,
इन्द्रा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर

9828103904, 9983993876, 9982688368

उप आवासन आयुक्त
वृत्त तृतीय, जयपुर
(दूरभाष: 0141-2723844)

बिडदाता हेतु बिड आवेदन

- 1) बिडदाता का नाम :—
- 2) पिता/पति का नाम :—
- 3) श्रेणी :— सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
(अ0जा0/ अ0ज0जा0 के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4) पता :—

स्व हस्ताक्षरित
फोटो

- (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- कृपया पिन कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
- 5) पैन कार्ड नम्बर :— (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 - 6) आधार कार्ड नम्बर :— (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 - 7) दूरभाष :— मोबाइल नम्बर :—
ईमेल :— (कैपिटल अक्षरों में लिखें)
 - 8) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :—
 (अ) योजना का नाम :— इन्दिरा गाँधी नगर योजना जयपुर/बनास विहार आवासीय योजना, टॉक सैक्टर :—
 - (ब) वाणिज्यिक / आवासीय (भूखण्ड / निर्मित) (जो लागू ना हो उसे काट दें)
 सम्पत्ति संख्या माप
 के लिये न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि (रु)
 की डी0डी0/ बैंकर चैक संख्या दिनांक जारीकर्ता
 बैंक का नाम संलग्न है।
 (नोट:— डी.डी. / बैंकर चैक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से बनवायें)

नीलामी के नियम एवं शर्तें

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में तालिकानुसार जमा करानी होगी तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में जयपुर की सम्पत्ति हेतु राशि संग्रहण केन्द्र संख्या 5, पानी की टंकी के पास, सैक्टर-09, मालवीय नगर जयपुर (सोमवार से शुक्रवार — प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक एवं शनिवार (बैंक अवकाश द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़ कर) — प्रातः 9.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक) तथा बनास विहार आवासीय योजना, टॉक की सम्पत्ति हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, धन्टाघर, टॉक में बैंक कार्य दिवस तथा बैंक समय में सीधे ही जमा

- कराकर संबंधित खण्ड कार्यालय में जमा रसीद की प्रति प्रस्तुत करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने अथवा कम जमा होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
 - 4) बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि / समय के पश्चात् प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। सर्तार्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - 5) सम्पत्ति के क्रय मूल्य रु 50 लाख एवं अधिक होने पर लीज राशि को छोड़ कर विक्रय मूल्य मय समस्त विविध शुल्क पर 1.00 प्रतिशत स्त्रोत पर आयकर कटौती क्रेता द्वारा की जाकर अपने स्तर पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194—आई.ए. के अनुरूप सरकारी खाता (आयकर प्राधिकरण) जरिये ई-बैंकिंग (ONLINE) सुविधा से निर्धारित अवधि में जमा कराई जाकर सूचित करना आवश्यक होगा। आवासन मण्डल का स्थाई खाता संख्या (PAN) **AAALR0046F** है।
 - 6) बिड दाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
 - 7) किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
 - 8) आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक (भूखण्ड अथवा निर्मित) सम्पत्ति “जहाँ है जैसा है” के आधार पर निरस्तारित किये जायेंगे। आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक (भूखण्ड अथवा निर्मित) सम्पत्ति का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
 - 9) क्रय किये गये भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में निर्धारित टाइप डिजाइन एवं/अथवा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप (एकीकृत भवन निर्माण विनियम-2017) निर्माण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
 - 10) किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होंगा।
 - 11) सम्पत्ति वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय की जावेगी। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद आवासन मण्डल की सहमति से लीज अवधि बढ़ायी जा सकेगी। निर्मित आवास सम्पत्ति के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय भूमि विकास दर की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान सम्पत्ति पर लीज 5.0 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक भूमि विकास दर पर वार्षिक रूप से देय होगी। आवासीय भूखण्ड के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय भूमि विकास दर की 2.25 गुणा की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वार्षिक रूप से देय होगी। व्यावसायिक सम्पत्ति पर प्रथम 5 (पांच) वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी।
 - 12) बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय—समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
 - 13) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी संबंधित कार्यालय/ आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb से प्राप्त कर ली गयी है।
 - 14) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में, अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञाप्ति में

- दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी। आवासीय/व्यावसायिक निर्मित सम्पत्ति हेतु एक मुश्त राशि, न्यूनतम रु 100 के गुणक में, भरी जावेगी।
- 15) खुली बोली न्यूनतम 100/- रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 16) बोलीदाता यथा अवयस्क, वयस्क, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री आदि, एकल एवं/ अथवा युगल रूप में, फर्म, एजेन्सी, कम्पनी— प्राईवेट/पब्लिक/एल.एल.पी. आदि, जो विधि सम्मत है, एक या एक से अधिक सम्पत्ति हेतु भी आयोजित नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक सम्पत्ति हेतु प्रथक—प्रथक अमानत राशि मोहरबन्द बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी। कम्पनी अथवा फर्म द्वारा नीलामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में सक्षम पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 17) सक्षम स्तर से अनुमोदित अधिकतम बिड की राशि के साथ—साथ नियमानुसार **अन्य विविध शुल्क** (व्यावसायिक हेतु 5.0 प्रतिशत एवं आवासीय हेतु 3.0 प्रतिशत), ` 500 नक्शा शुल्क, ` 1000 विधिक शुल्क, लीज मनी देय होंगे। वस्तु एवं सेवा कर की दर **अन्य विविध शुल्क** पर 12.0 प्रतिशत एवं नक्शा शुल्क, विधिक शुल्क, लीज मनी पर 18.0 प्रतिशत है, जो कि आवंटन पत्र के अनुसार अतिरिक्त देय होंगे।

उद्घोषणा

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/ श्रीमती

(बिडदाता – वाणिज्यिक/ आवासीय/ संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित सम्पत्ति संख्या सैकटर जोन इन्दिरा गाँधी नगर योजना जयपुर)/बनास विहार आवासीय योजना, टोंक, घोषणा करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि मैंने/ हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी संबंधी नियमों/ विनियमों/ शर्तों एवं उनमें समय—समय पर किये गये संशोधनों/ संवर्द्धनों को भली—भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बिड प्रस्ताव आवासन मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस संबंध में, मैं/ हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

दिनांक:

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

पिन कोड :

मोबाइल सं :

ईमेल :

मुहरबंद बिड प्रस्ताव

मैं/हम, मुहरबंद बिड खोलने की दिनांक में प्रस्तावित वाणिज्यिक / आवासीय (भूखण्ड / निर्मित)निर्मित दुकान सम्पत्ति संख्या सैकटर

इन्दिरा गाँधी नगर योजना जयपुर/बनास विहार आवासीय योजना, टोंक के लिए अपनी/ हमारी बिड दर रूपये (अंको में) (शब्दों में)

..... प्रति वर्ग मी0/ प्रति आवास/प्रति दुकान प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं।

(जो लागू ना हो उसे काट दें)

दिनांक:

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम :

लिफाफे पर चिपकावें

1) भूखण्ड का विवरण :-

(अ) योजना का नाम :- झंडिरा गाँधी नगर योजना जयपुर/बनास विहार आवासीय योजना, टॉक सैक्टर :-

(ब) वाणिज्यिक / आवासीय (भूखण्ड / निर्मित) सम्पत्ति संख्या
(जो लागू ना हो उसे काट दें)

2) बिडदाता का नाम :-

.....

3) श्रेणी :- सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

4) संलग्न अमानत राशि :- (रु)

डी०डी० / बैंकर चैक संख्या दिनांक

जारीकर्ता बैंक का नाम

5) मुहरबंद बिड प्रस्ताव खोलने की दिनांक :

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :


.....

पिन कोड :

मोबाइल सं :

ईमेल :

Protocol of MEP Err
H.W.O. 4/11/4444
SAB 11/3/2019
PE(CR.)





RAJASTHAN HOUSING BOARD


Residential Scheme, Tonk

Sector - 3

For MBP Proposed Yr. 2018-19

Residential plot, -3172(B), 2

N
(EIMS)



INDEX

INDEX		Category	Plot Size	Colour	No. of Houses
EWS		7.5X11.25	[]	[]	304
EWS		Glorianda	[]	[]	-
LIG		6.0X8.2.0	[]	[]	-
MIG-A		6.0X15.0	[]	[]	-
MIG-A		8.0X15.0	[]	[]	-
MIG-B		9.0X18.0	[]	[]	-
HIG		10.0X21.0	[]	[]	-

TELEPHONE LINE


TO DEOLI

**LAND ALLOTTED TO
BARWA SAMAJ**

KRISHI MANDI

372B

CS



Dated
07/01/2017
S. S. Agarwal (SSA)